HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

APPLICATION U/S 528 BNSS No. - 47631 of 2026

Gurupreet Singh

.....Applicant(s)

Versus

State Of U.P. And 2 Others

.....Opposite Party(s)

Counsel for Applicant(s) : Dhananjay Kumar Pandey, Pawnesh Dwivedi

Counsel for Opposite Party(s) : G.A.

Court No. - 73

HON'BLE DR. GAUTAM CHOWDHARY, J.

1. आवेदक की ओर से धारा 528 बी.एन.एस.एस. के अंतर्गत यह आवेदन पत्र, मु०अ०सं० 719 सन 2025, अन्तर्गत धारा 8/22, 21, 29, 60 एन.डी.पी,.एस. एक्ट व धारा 3/25 व 9/25 आर्म्स एक्ट, थाना बारादरी, जिला बरेली से उद्भूत विविध वाद सं० 53 सन 2026, जो अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं० 3, बरेली द्वारा पारित आदेश दि० 18.07.2026 को अपास्त करन हेतु योजित किया गया है।

2. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता एवं राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना।

3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि आवेदक ने अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय संख्या-3, बरेली के न्यायालय के समक्ष मु०अ०सं० 53/2026 'राज्य बनाम प्रियंका दास' (जो कि केस क्राइम संख्या 719/2025, धारा 8/18, 21, 29, 60 एन.डी.पी.एस. अधिनियम एवं 3/25 व 9/25 आर्म्स एक्ट, थाना- बारादरी, जिला- बरेली से उद्भूत है) के अंतर्गत एक विमोचन/सुपुर्दगी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिसमें उसने वाहन संख्या UK06/AJ-0492 को अपने पक्ष (अनुकूल) मुक्त किए जाने की प्रार्थना की। तथापि, विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय संख्या-3, बरेली ने अपने न्यायिक विवेक का प्रयोग नहीं किया और वाहन पंजीकरण संख्या UK06/AJ-0492 (मारुति/स्विफ्ट डिजायर) की सुपुर्दगी/मुक्ति के संबंध में स्थापित प्रावधानों और नियमों की पूर्ण अवहेलना करते हुए, गैर-मौजूद (अस्तित्वहीन) आधार पर आवेदक के विमोचन प्रार्थना पत्र को यांत्रिक रूप खारिज कर दिया। उनके द्वारा अपने तर्क के समर्थन में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **'सुंदरभाई अंबालाल देसाई बनाम गुजरात राज्य'** (एस.सी., ए.सी.सी. 2003, वॉल्यूम 46, पृष्ठ 223 में रिपोर्टेड) के मामलें में यह निर्धारित किया गया है कि संपत्ति के निस्तारण के अधिकार का प्रयोग शीघ्रता से एवं विवेकपूर्ण तरीके से किया जाना चाहिए और इसे लंबे समय तक थाने/मालखाने में रखना उपयोगी नहीं है, परंतु प्रस्तुत मामले में, माननीय

शीर्ष अदालत द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का संबंधित न्यायालय द्वारा अनुपालन नहीं किया गया है।

4. इसके विपरीत, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने आक्षेपित आदेश का समर्थन करते हुए तर्क दिया कि बरामद वाहन अवैध व्यापार से अर्जित लाभ या संलिप्तता का हिस्सा हो सकती हैं, अतः विचारण न्यायालय द्वारा निर्मुक्ति आवेदन का निरस्त किया जाना न्यायसंगत है।

5. उभय पक्षकारों के तर्कों एवं अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री के अनुशीलन से यह स्पष्ट है कि इस न्यायालय द्वारा मामले के तथ्यों, जब्त वाहन की प्रकृति और माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों पर विचार किया गया। यह एक सर्वविदित विधि का सिद्धांत है कि किसी वाहन को अनिश्चित काल तक थाने परिसर में खड़े रहने देने से उसकी कीमत लगातार कम होती है और वह कबाड़ में बदल जाता है, जिससे न तो राज्य को कोई लाभ होता है और न ही वाहन स्वामी को। एन.डी.पी.एस. अधिनियम या अन्य अधिनियमों के तहत जब्त संपत्तियों के मामले में भी यदि वाहन को मुकदमे के विचारण के दौरान अंतरिम सुपुर्दगी पर दिया जाना संभव है, तो उचित शर्तों के साथ उसे रिलीज किया जा सकता है ताकि उसकी सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। यहां प्रासंगिक है कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने **सुंदरभाई अंबालाल देसाई (सुप्रा)** के ऐतिहासिक निर्णय में स्पष्ट रूप से यह निर्धारित किया है कि ज़ब्त की गई संपत्ति/वस्तुओं को अनावश्यक रूप से मालखाने या थाने में वर्षों तक रोके रखना जनहित एवं न्यायहित में नहीं है। न्यायालयों को ऐसी वस्तुओं की उचित फोटो/पंचनामा तैयार कराकर तथा उपयुक्त मुचलके/प्रतिभूति पर उनके वास्तविक स्वामी को अवमुक्त/निर्मुक्त कर देना चाहिए। उपर्युक्त तथ्यों, परिस्थितियों एवं विधि व्यवस्था के आलोक में, यह आवेदन पत्र स्वीकार किए जाने योग्य है।

6. तद्नुसार, यह आवेदन पत्र स्वीकार किया जाता है तथा अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय संख्या-3, बरेली द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांक 18.07.2026 (विविध वाद सं० 53/2026) को **अपास्त** किया जाता है।

7. मामलें को संबंधित विचारण न्यायालय के पास इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित (Remand) किया जाता है कि वह इस आदेश की प्राप्ति के उपरांत पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों, स्वामित्व के साक्ष्यों तथा माननीय उच्चतम न्यायालय के दिशा-निर्देशों के प्रकाश में आवेदक के विमोचन/सुपुर्दगी प्रार्थना पत्र पर कानून के अनुसार नए सिरे से त्वरित एवं गुण-दोष के आधार पर विचार करते हुए आदेश पारित करे।

8. तदनुसार, यह आवेदन पत्र अंतिम रूप से **निस्तारित** किया जाता है।

(Dr. Gautam Chowdhary,J.)

October 29, 2026
CP.sahani

Digitally signed by :-
CHANDRA PRAKASH SAHANI
High Court of Judicature at Allahabad